न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 236/2011

वादी :-

1. मोहनलाल पुत्र प्रभुराम
   जाति-गुर्जर निवासी-मुण्डावा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सरपंच,ग्राम पंचायत घोडावड
2. ग्रामसेवक,पदेन सचिव ग्राम पंचायत, घोडावड
3. विकास अधिकारी,पंचायत समिति कार्यालय,जैतारण
4. तहसीलदार,जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.26.09.2011

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र गुर्जा, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारीया एवं श्री नीतेश चौहान, अधिवक्तागण, प्रति0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 23/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा-मुण्डावा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 250 रकबा 18-07 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260 रकबा 14-13 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 261 रकबा 5-08 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 262 रकबा 11-02 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 263 रकबा 7-12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 264 रकबा 0-13 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 265 रकबा 12-17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 266 रकबा 12-03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 275 रकबा 10-09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 276 रकबा 26-15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 277 बीघा 18-19 किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 278 रकबा 13-05 किस्म चाही प्रथम, कुल किता-12 कुल रकबा 152-03 बीघा की आई हुई हैं। उपरोक्त कुल खसरा 12 की भूमि 152 बीघा 3 बिस्वा में वादीगण का 2/5 हिस्सा होकर मौके पर आपसी समझ से बंट करके कब्जा काश्त हैं, जो निरन्तर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी के बंट में जो जमीन आपस में बांटी गयी। उसका सह खातेदार ने कभी पटवारी हल्का आदि से विधिवत् बांट नहीं करवाया। वादी मोहन के बंट की जमीन के पूरब में उसका एक रहवारी कच्चा मकान बना हुआ है व बाड भी हैं। मकान व बाड को वादीगण जमीन की पैदावार फसल रखवाली व अपने परिवार व मवेशियों आदि के रहने के काम में लेता रहा है। वादी मोहन का उक्त मकान के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अलावा गांव में या अन्य कही कोई रहवासी मकान नहीं है। वर्तमान में वादी का कामकाज बिलाडा में चल रहा होने से वह वहा रहता है। मोहन का मकान व बाडा बन्द किया हुआ हैं, जिसमें उसका घर का सामान बिस्तर, कपड़े एक इंजन सामान आदि पडा है। वादी की कृषि भूमि बाडे व मकान के पूरब व उत्तर में ग्राम-मुण्डावा की गांवाई नाडी स्थित है, जो खसरा नम्बर-252 गै.मु. नाडी की सबसे पुरानी व सीमा की पाल मौके पर आज दिन भी लगायी हुयी हैं, जिस पर समय-समय पर ग्राम पंचायत व राज्य सरकान की योजनाओं के तहत् मिट्टी खुदवा कर डलवायी जाती रही हैं, जिनमें बाढ, बचाव जल भण्डारण नरेगा आदि योजनाए चलती रहती है। वादी के मकान व बाड़े में जाने के लिये कोई सही रास्ता नही होने से वादी ने गांवाई नाडी की पाल से अलग मिट्टी डलवाकर मुख्य डामर सडक से मकान व बाडे तक जाने के लिये स्वयं के खर्चे से रास्ता बनवाया उस समय पूर्व सरपंच भंवर सिंह ने ग्राम पंचायत की और वादीगण की व उसके भाईयों की कृषि भूमियों मकान व बाडो का दो बार नाप करवाया तो वह जमीन वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि निकली जिसमें रास्ता, मकान व बाडे आदि शामिल थे। वह भूमि किसी भी तरह से खसरा नम्बर-252 गै.मु. नाडी की अतिक्रमित भूमि नही निकली, इसलिए ग्राम पंचायत के सभी गाांव के लोग जो नाप के समय उपस्थित थे, उन्होने सामुहिक रूप से मकान, बाडे व रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त भूमि बताया तथा नाडी में अन्य लोगों ने अवैध रूप से जो मकानात बना रखे है उनको हटवाने का भी कहा व अतिक्रमण अभी भी हैं। चूंकि वादीगण व उनके भाईयों के बीच आपस में बंट किये तब नाप नहीं करवाया था। इसलिये पटवारी हल्का-घोडावड़ ने वर्ष 1998 से मकान व बाडे की भूमि को अतिक्रमण मानकर 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पाव बीघा जमीन के नोटिस देने शुरू कर दिये वादी मोहन पढा लिखा नही हैं तथा उसे कानून की व नापचौप की विधिक जानकारी नही होने से वह प्रति वर्ष नोटिस मिलने पर जुर्माना अदा करता रहा, जिसके प्रमाण वादी के पास आज दिन भी मौजूद है। पूर्व सरपंच भंवर सिंह के समय वादी की जमीन व गै.मु. नाडी की भूमि के नाप से वादी को यह ज्ञात होने पर भी उसने 91 एल.आर.ए के नोटिस पर जुर्माना भरना जारी रखा। अंतिम रसीद पटवारी हल्का ने वादीगण को रूपये लेने के बाद भी अभी तक नही दी हैं। उक्त जुर्माना वादी ने ग्रामवासियों के कहने से भरना जारी रखा की रूपया नाडी के वास्ते काम आयेगा। परन्तु नाडी पर कोई रूपया पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत ने नही लगाया। गत पंचायत चुनाव में वादीगण ने वर्तमान सरपंच निवासी-घोड़ावड़ को यह कहते हुए मत व समर्थन नही दिया कि ग्राम-घोडावड का पढालिखा व सुलझा हुआ व्यक्ति चेतन नाथ सरपंच के लिये उम्मीदवार होने से प्राथमिकता की बतौर चेतननाथ को मत व समर्थन दिया। इससे सरपंच ग्राम पंचायत-घोडावड छीतर गुर्जर वादी से रंजिश रखने लगा और जैसे तैसे वादी को तंग परेशान बर्बाद करके उन्हे नुक्शान पहुंचाने की कोशिशों करने लगा तथा कुछ दिनों पूर्व वादी की गैर मौजुदगी में सरपंच ग्राम पंचायत-घोडावड ने प्रतिवादी सं. 2 व अपने पक्ष के ग्रामीणों को इकट्ठा कर जे.सी.बी. मशीन लेकर वादी के खेत पर गये व वादी की गैरमौजूदगी में सरपंच ग्राम पंचायत-घोडावड़ ने मकान व बाडे की कृषि भूमि की बीच में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में जे.सी.बी. से खुदायी कराकर करीब 200 फिट लम्बाई में पाल बना दी जबकि मकान, बाडा, रास्ते की पाल व कृषि भूमि सभी वादी की खातेदारी में बने हैं। सरपंच व उसके गिरोह ने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

यह जानते हुए कि उनके द्वारा जबरन निकाली गयी, पाल गै.मु. नाडी की भूमि नही हैं, तो भी केवल वादी को नुक्सान पहुंचाने व उनकी जमीन खराब करने व बदला लेने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा बदयान्तीपूर्वक उक्त कार्यवाही की गयी, जो कि सर्वथा गैरकानूनी निन्दनीय व पदीय हसियत से स्पष्ट दुरूपयोग करके सरकारी खजाने का व्यर्थ पैसा खर्च करने वाला कृत्य है। दिनांक 02/06/2011 को वादी को उक्त गैरकानूनी पाल की सूचना मिलने पर उन्होंने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से सम्पर्क किया, तो उक्त सरपंच ने स्पष्ट शब्दों में वादी को धमकी दी कि चुपचाप घर में जाकर बैंठ जाओ नहीं, तो मकान व बाडे पुरी तरह नष्ट करवा दूंगा तथा तुम्हारी खातेदारी की भूमि को जब्त करवा दुंगा। तब वादी ने मौके पर जाकर सारी जानकारी ली व मौके के फोटो ग्राफ बनवाये। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि व उसमें बने मकान व बाडे को व उनके स्वयं के द्वारा निर्मित रास्ते को ध्वस्त या नष्ट करने का व उनकी खातेदारी भूमि में हजारों रूपयों की जमीन खराब करके नये सिरे से पाल बनाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, न कानून ऐसा करने की इजाजत देता है। वादी नुक्शानी के 15000/- रूपये व नोटिस व्यय के 2100 रूपये भी प्रतिवादीगण से वसुल करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण वादी को तंग परेशान करने के लिए मकान बाडा हटाने रास्ता बन्द करने व वादी की कृषि भूमि को फसल बौने योग्य नही रहने देने पर खराब करने पर आमादा हैं। अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफन होते हैं, तो वादी को उनके खातेदारी काश्तकारी साम्पैतिक व कानूनी अधिकारों से महरूम होना पडेगा तथा उन्हे असम क्षति होगी, ऐसी स्थिति में वादी को अपने अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक हो जाता हैं। लिहाजा यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान की सेवा में सादी प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी बनाई गई गैरकानूनी पाल हटाकर बने हुए गड्डो को भरकर जमीन सही करने का भी कानूनी अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पदीय दुरूपयोग कर वादी को तंग परेशान किया जाता रहा। तब वादीगण ने ऐक कानूनी नोटिस प्रतिवादीगण को धारा-109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत व धारा-802 सीपीसी के तहत दो माह की निश्चित अवधि के लिए पंजीकृत डाक द्वारा भिजवाया जो नोटिस चारो प्रतिवादीगण को मिल गया। परन्तु प्रतिवादीगण में से किसी ने भी नोटिस का कोई जवाब वादीगण को नही दिया। विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी को दिनांक 02/06/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा गैरकानूनी पाल बनाने की सूचना मिलने पर व प्रतिवादी सरपंच द्वारा कृषि भूमि मकान व बाडा नष्ट करने की धमकी वादीगण को देने पर उक्त तिथि को व आज दिन लगातार वाद कारण प्राप्त है व होने से इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त हैं तथा वादी का वा अन्दर मियाद पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-घोड़ावड़ में पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण को जबाबदावा पेश करने हेतु कई बार समय दिए जाने के बावजूद भी पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार हैं। वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते हैं। जिन्हें जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–मुण्डावा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 250 रकबा 18–07 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260 रकबा 14–13 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 261 रकबा 5–08 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 262 रकबा 11–02 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 263 रकबा 7–12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 264 रकबा 0–13 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 265 रकबा 12–17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 266 रकबा 12–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 275 रकबा 10–09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 276 रकबा 26–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 277 बीघा 18–19 किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 278 रकबा 13–05 किस्म चाही प्रथम, कुल किता–12 कुल रकबा 152–03 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–घोड़ावड़ पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इस्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. मोहनलाल पुत्र प्रभुराम
   जाति–गुर्जर निवासी–मुण्डावा
   तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. सरपंच,ग्राम पंचायत घोडावड
2. ग्रामसेवक, पदेन सचिव ग्राम पंचायत, घोडावड
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय, जैतारण
4. तहसीलदार,जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:236/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री महेन्द्र गुर्रा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारीया एवं श्री नीतेश चौहान, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–मुण्डावा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 250 रकबा 18–07 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 260 रकबा 14–13 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 261 रकबा 5–08 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 262 रकबा 11–02 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 263 रकबा 7–12 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 264 रकबा 0–13 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 265 रकबा 12–17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 266 रकबा 12–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 275 रकबा 10–09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 276 रकबा 26–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 277 बीघा 18–19 किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 278 रकबा 13–05 किस्म चाही प्रथम, कुल किता–12 कुल रकबा 152–03 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	011	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	17	-00	मिजानः-	01	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner